



मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 280 / 2021

1. मानाराम पुत्र स्व. नूराराम जाति मेहंतर (वाल्मिकी) साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

1. बलदेव पुत्र गुरदास जाति चमार (जलन्धरा) साकिन बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए.**

दिनांक :- 24/06/2025

वादी की ओर से श्री संजय चाण्डक अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि बहस पर मनन व बाद पत्रावली अवलोकन वाद पत्र में उभय पक्ष वादी एवं प्रतिवादी का खसरा संख्या अलग अलग है एवं उनके मध्य केवल सिमांकन का विवाद है जबकि उभय पक्ष अपनी-अपनी भूमि पर कब्जा काशत है भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है इस लिए वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वाद वादी अस्वीकार किया जाता है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 24/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)  
उपखण्ड अधिकारी  
पदेन सहायक कलक्टर  
पीलीबंगा हनुमानगढ़